राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1802/2024

बलराम शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल), जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक (सी.सी.एफ.), जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 16.05.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी राजस्थान उप वन संरक्षक के पद पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज—II, जैसलमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन उप वन संरक्षक डीग से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—3) को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा श्री पंकज कुमार गुप्ता उप वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज—II, जैसलमेर का स्थानान्तरण उप वन संरक्षक, धौलपुर किया गया था, के विरूद्ध माननीय अधिकरण में अपील संख्या 414/2024 दायर की थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 27.02.2024 के द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में करते हुए उपस्थिति कार्यालय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर में देने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रशानिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2022, 04.01.2023, 20.01.2023 एवं 03.01.2024 (अनुलग्नक—6) के द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा अथवा अन्य माध्यम से इच्छित जगह

रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2024, 21.02.2024 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2024 से 22.02.2024 की अवधि में स्थानान्तरण किये जाने पर छूट प्रदान की गई थी। लोकसभा चुनाव के मध्यनजर आदर्श आचार संहिता दिनांक 16.03. 2024 (अनुलग्नक–7) को लागू हो गई थी। वन विभाग के स्टेडिंग आदेश दिनांक 27. 02.2024 (अनुलग्नक–8) पर है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.05.2024 (अनुलग्नक–9) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से पदस्थापन किया गया जावे। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर अपील संख्या 1243/2022 एस.के. नोसाद रहमान एवं अन्य बनाम भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–10) का उद्धरण देकर प्रकरण अपीलार्थी के समान बताया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 144/2024 लक्ष्मण कुमार स्वामी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 एवं अपील संख्या 1282/2024 हेमन्त सिंह शेखावत बनाम राजस्थान राज्य मे पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 (अनुलग्नक–11) के द्वारा अपीलार्थी को अपने आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने के आदेश को स्थगित करते हुए नोटिस जारी किये गये है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को उप वन संरक्षक के पद पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज–II, जैसलमेर के पद पर पदस्थापित करने के नये आदेश जारी करे तथा उक्त पद पर कार्य करने दिया जावे एवं वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे तथा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा का नियमन किया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, एफ.सी. ए द्वारा (वन संरक्षण अधिनियम 1980) के प्रस्ताव "Construction of 33 KV Transmission Line Overhead/Underground 33 KV XLPE 300 Sq- mm Cable from 400 KV GSS to HPCL Rajasthan Refinery Ltd Nachana] Dist- Jaisalmer" (FP/RJ/TRANS/152039/2022) के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वल प्रमुख) राज. जयपुर को एक यूओ. नोट क्रमांक 1192 दिनांक 06.05.2024 द्वारा उप वन संरक्षक आई.जी.एन.पी. स्टेज II जैसलमेर द्वारा 2.5 माह से चल रहे कार्य को Unlawful तरीके से बंद करवाये जाने एवं राज्य की महत्वपूर्ण

परियोजना में अवरोध उत्पन्न किये जाने का उल्लेख कर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित की गई। (प्रदर्श आर–1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा नोटशीट के पैरा संख्या 9/एन पर टिप्पणी की है कि उप वन संरक्षक आई.जी.एन.पी. स्टेज–II, जैसलमेर द्वारा टीवा स्थिरीकरण की 10 विभिन्न साईटो पर 240 हेक्टर में मल्चिंग का कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया। जिसके संबंध में पी.एण्ड एम. यूनिट से इन सभी साईटों का शत प्रतिशत मूल्याकंन करवाये जाने का उल्लेख किया गया (संलग्न–आर/2)। अपीलार्थी उप वन संरक्षक द्वारा उच्च अधिकारियों के राजकीय निर्देशों की अवहेलना कर राज्य की महत्त्वपूर्ण परियोजना में अवरोध उत्पन्न कर 2.5 माह से चल रहे कार्य को Unlawful तरीके से बन्द करवाये जाने एवं इनके उक्त कृत्य के संबंध में जांच प्रस्तावित होने तथा इनके द्वारा टीवा स्थिरीकरण की 10 विभिन्न साईटो पर मल्चिंग का कार्य पूर्ण नहीं करवाये जाने के संबंध में इन साईटों का शत प्रतिशत मूल्यांकन प्रस्तावित होने के कारण इनको पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा जाना प्रस्तावित किया गया था, ताकि प्रस्तावित जांच एवं मूल्यांकन कार्य को उनके द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सके। पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा जाना कोई दण्ड नहीं है। अपीलार्थी उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी. स्टेज–II, जैसलमेर को प्रशासनिक कारणों एवं जांच प्रस्तावित होने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.05.2024 द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखा जाकर इनका मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर में किया गया है। जिसकी पालना में उन्होने मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर मे उपस्थिति दी है। अपीलार्थी के विरूद्ध जांच के सबंध में जारी कार्यालय आदेश दिनांक 17.05.2024 की प्रति संलग्न प्रदर्श आर/ 3 पर है। राज्य सरकार के उक्त आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) के आदेश दिनांक 07.05.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी उप वन संरक्षक द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1802/2024 दायर की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वल प्रमुख) राज. जयपुर को एक यूओ. नोट दिनांक 06.05.2024 द्वारा उप वन संरक्षक आई.जी.एन.पी. स्टेज II जैसलमेर द्वारा 2.5 माह से चल रहे कार्य को Unlawful तरीके से बंद करवाये जाने एवं राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना में अवरोध उत्पन्न किये जाने का उल्लेख कर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया

जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 07.05.2024 द्वारा अपीलार्थी को उच्च अधिकारियों के राजकीय निर्देशों की अवहेलना कर राज्य की महत्त्वपूर्ण परियोजना में अवरोध उत्पन्न कर 2.5 माह से चल रहे कार्य को Unlawful तरीके से बन्द करवाये जाने एवं इनके उक्त कृत्य के संबंध में जांच प्रस्तावित होने तथा इनके द्वारा टीवा स्थिरीकरण की 10 विभिन्न साईटो पर मल्चिंग का कार्य पूर्ण नहीं करवाये जाने के संबंध में इन साईटों का शत प्रतिशत मूल्यांकन प्रस्तावित होने के कारण इनको पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा जाना प्रस्तावित किया गया था, ताकि प्रस्तावित जांच एवं मूल्यांकन कार्य को उनके द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सके। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन व सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य